राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2404/2016/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स डिम्पल ट्रेडर्स,
लाल डिग्गी, सर्किल मंडी बाजार, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 05/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 146/आरवेट/2014–15/अपी. प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,39,374/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.11.2014 को वाहन संख्या आरजे 09/जीए–6865 को एन.एच. 8 पर उदयपुर के समीप जाते वक्त सशक्त अधिकारी द्वारा चैक किया गया। जांच में पाया गया कि वाहन में लदा माल प्लास्टिक मोल्डेड कुर्सियां सिलवासा, दादरा (यू0टी0) से अलवर के लिए परिवहनित किया जा रहा था। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा उक्त माल से संबंधित निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये

(i) मै0 नेशनल प्लास्टिक इण्ड0, दादरा सिल्वासा का टैक्स इन्वॉयस नं0–1316 दिनांक 31.10.2014 कीमतन रू0 4,30,579/– का जो मै0 डिम्पल ट्रेडर्स, अलवर के नाम जारी है।

(ii) मै0 सुपर कार्गो कैरियर्स का बिल्टी जी.सी. नं0 1364 दिनांक 31.10.2014

(iii) घोषणा पत्र वेट 47 नं0 0775180

3. सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच करने पर प्रस्तुत घोषणा पत्र वेट 47 अवधिपर पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन माना। व्यवसायी को अधिनियम की धारा 76(6) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। व्यवसायी द्वारा दिये गये नोटिस से असंतुष्ट होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी बाजवूद सूचना अनुपस्थित है तथापि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ अधिकृत घोषणा पत्र वेट 47 अवधिपार पाये जाने के कारण शास्ति का आरोपण किया गया। इस संबंध में **माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि. अजमेर (2013) 94 टैक्स अपडेट 36** में अवधिपार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में बताया गया है कि भूलवश उक्त परिवहनित माल के साथ पुरानी तारीख का घोषणा पत्र वेट 47 संलग्न हो गया जबकि उनके द्वारा दिनांक 20.10.2014 को विभाग से नये वेट 47 फार्म भी जारी करा लिये गये थे। इस बाबत् **"माननीय कर बोर्ड का निर्णय अपील 215/2008 रानीवाला ज्वैलर्स प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी** में उद्धरित किया गया है कि यदि नोटिस के जवाब के साथ भी घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तो शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है।" उपरोक्त निर्णयों के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी व्यवहारी पर शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक है। अपीलीय अधिकारी का आदेश विस्तृत एवं स्पष्ट होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य